रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 01, 2017/अग्रहायण 10, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 363

No. 439] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 01, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939 [N.C.T.D. No. 363

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रषिक्षण एवं तकनीकी षिक्षा निदेषालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं. फा. III टीडी/न्यू स्टेटयूटस/56/2011/2994.—आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित धारा 18 की उपधारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईआईटी, दिल्ली बोर्ड ऑफ गवनर्स, चांसलर के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित संविधि ''सीनेट की रचना और इसके सदस्यों के पद की अवधि'' बनाता, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इस संविधि को आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान)–दिल्ली संविधि –35 कहा जाये

(2) ये षासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **सीनेट की रचना और इसके सदस्यों के पद की अवधि.**—(1) सीनेट में कम से कम 20 और 40 से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

(2) कम से कम आधे सदस्य संस्थान के पूर्णकालिक संकाय सदस्य होंगे और कम से कम एक चौथाई सदस्य होंगे जो संस्थान के संकाय नहीं है ।

(3) इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों का समावेष होगा, अर्थात्:—

क) निदेषक जो सीनेट के अध्यक्ष होंगे

ख) संस्थान के शैक्षणिक अधिकारी

ग) संस्थान के संकाय सदस्य

घ) आईआईटी/आईआईआईटी जैसे अन्य संस्थानों के षिक्षक

ड) कंपनियों या लैब्स के विषेषज्ञ

च) संस्थान के पूर्व छात्र

छ) छात्र प्रतिनिधियों (कम से कम दो), विषेष आमंत्रित के रूप में, जहां बैठकों के लिए विद्यार्थियों का सहयोग वांछनीय हैं।

ज) सीनेट के गैर–मतदान सचिव के रूप में रजिस्ट्रार

झ) सीनेट सीमित अवधि के लिए या उन बैठकों के लिए जहां विषेष मुद्दों पर चर्चा की जानी है वहां अन्य सदस्यों का सहयोग भी ले सकता है ।

4. सीनेट में सकल्पों को पारित करने के लिए कोरम वोटिंग सदस्यों का एक तिहाई हिस्सा होगा।

5. प्रत्येक नामाकिंत सदस्य का कार्याकाल दो वर्ष का होगा, जिसमें से 50 प्रतिषत प्रत्येक वर्ष बदले जायेंगे । सेवानिवृत्त सदस्य पुनः नामांकित किए जा सकते हैं।

6. प्रत्येक श्रेणी मे सदस्य वर्तमान सीनेट द्वारा नामांकित किए जाएंगे।

7. प्रत्येक श्रेणी से सदस्यों की संख्या बोर्ड द्वारा निर्णित की जाएगी। निर्णित संरचना की प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अष्विनी कुमार कंसल, उप निदेषक (एस बी)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th November, 2017

F. No. IIITD/New Statutes/56/2011/2994.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section 2 of section 18 read with sections 22 and 23 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Board of Governors of the IIIT Delhi, with the prior approval of the chancellor, hereby, makes the following Statute regarding "Composition of Senate and term of office of its members", namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) This Statute may be called the IIIT (Indraprashta Institute of Information and Technology)-Delhi Statute-35.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Composition of Senate and term of office of its members.—(1) Senate shall consist of no less than 20 and no more than 40 members.

2. At least half of the members will be full time faculty members of the Institute, and at least one fourth will be members who are not faculty of the Institute.

3. It will comprise of persons, in the following categories; namely:—

a) The Director, who shall be the Chairman of the Senate;

b) Academic functionaries of the Institute;

c) Faculty members from the Institute;

d) Academicians from other institutions like IITs / IIITs;

e) Experts from Companies or Labs;

f) Alumni of the Institute;

g) Student representatives (at least two) as special invitees for meetings where students inputs are desirable;

h) The Registrar as non-voting Secretary of the Senate;

i) The senate can also co-opt other members for limited term, or for some meetings where special issues are being discussed.

4. The quorum for passing resolutions in the Senate will be one-third of the voting members.

5. Tenure of each nominated member shall be two years, fifty per cent of which will be changed every year. The retiring member can be re-nominated.

6. Members in each category shall be nominated by the existing Senate.

7. The number of members from each category will be decided by the Board. The composition decided will be subject to review every two years.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Director (SB)

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं. फा. III टीडी/न्यू स्टेटयूटस/56/2011/2995.—आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 एवं 23 के साथ पठित धारा 18 की उपधारा 2 (घ) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईआईटी, दिल्ली बोर्ड ऑफ गवनर्स, चांसलर के पूर्वानुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित संविधि ''आईआईआईटी, दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवनर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया'' बनाता, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इस संविधि को आईआईआईटी (इन्द्रप्रस्थ सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान) –दिल्ली संविधि –34 कहा जाये ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1. **आईआईआईटी –दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवनर्स के अध्यक्ष.—नियुक्ति की प्रक्रिया**

(1) चांसलर एक पांच सदस्यीय खोज एवं चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें बोर्ड द्वारा नामांकित एक सदस्य, बोर्ड द्वारा नामांकित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति और चांसलर द्वारा नामांकित दो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे । चांसलर समिति की अध्यक्षता में इन पांच सदस्यों में एक को नामित करेंगे।

(2) समिति, निदेषक, बोर्ड के सदस्यों, वर्तमान और पिछले अध्यक्ष और प्रतिष्ठित षिक्षाविदों और पेषेवरों से नामांकन की मांग करेगी। समिति के सदस्य उपयुक्त उम्मीदवारों का सुझाव भी दे सकते हैं।

(3) नामांकन से समिति तीन संभावित उम्मीदवारों को नामित करेगी। यदि आवष्यक हो जैसा उचित समझा जाये, उम्मीदवारों के पैनल के साथ बातचीत की जा सकती है वह तीन उम्मीदवारों के नाम और संक्षिप्त विवरण कुलपति को भेजेगा।

(4) चांसलर इस पैनल से बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं या समिति से अतिरिक्त नाम मांग सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेष से तथा उनके नाम पर,

अष्विनी कुमार कंसल, उप निदेषक (एस बी)

Delhi, the 30th November, 2017

F. No. IIITD/New Statutes/56/2011/2995.—In exercise of the powers conferred by clause (c) sub-section 2(d) of section 18 read with section 22 and 23 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Board of Governors of the IIIT Delhi, with the prior approval of the chancellor, hereby, makes the following Statute "Process for Appointment of Chairman, Board of Governors of IIIT-Delhi", namely:—

(1) Short title and Commencement.—This Statute may be called the IIIT (Indraprashta Institute of Information and Technology)-Delhi Statute-34.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

1. Process for Appointment of Chairman, Board of Governors of IIIT-Delhi:—

(1) The Chancellor will constitute a five member Search cum Selection Committee consisting of one member of the Board nominated by the Board, two eminent persons nominated by the Board, and two e minent persons nominated by the Chancellor. The Chancellor will nominate one of these five members to Chair the committee.

(2) The committee will seek nominations from the Director, Board members, present and past Chairman, and eminent academicians and professionals. Committee members may also suggest suitable candidates.

(3) From the nominations, the committee will shortlist three potential nominees. It may, if necessary, interact with the panel of candidates as it deems appropriate. It will send the names and brief resumes of the three candidates to the Chancellor.

(4) The Chancellor may appoint the Chairman of the Board from this panel, or may seek additional names from the committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ASHWANI KUMAR KANSAL, Dy. Director (SB)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.12.04 10:34:54 +05'30'